संख्या-121/2023/2390/22-2-2023-17(690)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 सितम्बर, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बनारसी लाल, निवासी जनपद-वाराणसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19806/प्रो0-3/फार्म-ए/2023/(एम-07.06.2023), दिनांक-15.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बनारसी लाल, जे-35/139 नक्खीघाट, थाना-जैतपुरा, जनपद-वाराणसी का निवासी है। दिनांक 10-11-2017 को बच्चों के साथ खेल रही वादी ज्ञानचन्द्र गौड़ की 04 वर्षीय नाबालिग लड़की को बन्दी अपने किराये के घर में ले गया और नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-08/2018 में भा0द0वि0 की धारा-5एम/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) वाराणसी के आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.05.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 05 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पीडिता की मां द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिनांक 10-11-2017 को बच्चों के साथ खेल रही वादी ज्ञानचन्द्र गौड़ की 04 वर्षीय नाबालिग लड़की को बन्दी अपने किराये के घर में ले गया और नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग का प्रयास किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यकित विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बनारसी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप कुमार विश्वकर्मा (बन्दी संख्या-205/21) पुत्र श्री बनारसी लाल, निवासी जनपद-वाराणसी को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-121/2023/2390(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-121/2023/2390/22-2-2023-17(690)/2023

दिनांक 06 सितम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बनारसी लाल, जे-35/139 नक्खीघाट, थाना-जैतपुरा, जनपद-वाराणसी का निवासी है। दिनांक 10-11-2017 को बच्चों के साथ खेल रही वादी ज्ञानचन्द्र गौड़ की 04 वर्षीय नाबालिग लड़की को बन्दी अपने किराये के घर में ले गया और नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-08/2018 में भा0द0वि0 की धारा-5एम/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) वाराणसी के आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.05.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 05 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पीड़िता की मां द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिनांक 10-11-2017 को बच्चों के साथ खेल रही वादी ज्ञानचन्द्र गौड़ की 04 वर्षीय नाबालिग लड़की को बन्दी अपने किराये के घर में ले गया और नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग का प्रयास किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यकित विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बनारसी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।